संख्या-111/1826/41-2016-108 सा0/16

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 25 अक्टूबर,2016**

विषयः- लखनऊ में स्थित छतर मंजिल, लाल बारादरी एवं कोठी दर्शन विलास को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लखनऊ में स्थित छतर मंजिल, लाल बारादरी एवं कोठी दर्शन विलास ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल/भवन हैं, जिनका वर्तमान में संरक्षण एवं रख-रखाव संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है, के संरक्षण के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इनका उपयोग इस प्रकार किया जाय, जिससे उक्त स्थल/भवन आगन्तुकों/पर्यटकों हेतु सुलभ हो सके तथा साथ ही भविष्य में इनका रख-रखाव भी समुचित ढंग से हो सके। पर्यटन विभाग द्वारा इन भवनों को हेरिटेज होटल, अवध म्यूजियम, विजिटर सेन्टर तथा लखनऊ आने वाले पर्यटकों तथा कला प्रेमियों हेतु कल्चर/पर्यटन हब के रूप में विकसित किये जाने की योजना है, जहॉ पर अवधी-संस्कृति (यथा-हस्तकला, गायन, नृत्य इत्यादि) को शो-केस किया जायेगा, जिससे राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इन ऐतिहासिक इमारतों की ओर आकर्षित किया जा सके। यदि इन इमारतों का उचित संरक्षण कर प्रचार-प्रसार किया जाय तो निश्चित ही इन इमारतों में पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा, जिस कारण इनमें उच्च स्तर के रख-रखाव तथा आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था करनी होगी। पर्यटन विभाग के पास आतिथ्य सत्कार का भी पर्याप्त अनुभव होता है जिससे इन इमारतो को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने से इन स्थल/भवनों का समुचित विकास होगा।

2- अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ में स्थित छतर मंजिल, लाल बारादरी एवं कोठी दर्शन विलास स्थल/भवनों को इनके नियंत्रणाधीन संस्कृति विभाग से पर्यटन विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) महानिदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि/भवनों का मालिकाना हक संस्कृति विभाग का ही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महानिदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा उपर्युक्त भवनों/स्थलो को पुरातत्व परामर्शदात्री समिति से नियमानुसार असंरक्षित घोषित करा लिया जायेगा।

कृपया तदनुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-111/1826(1)/41-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उ0प्र0।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन ।
4. अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/राजस्व/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, पुरातत्व, उ0प्र0 लखनऊ।
9. सचिव, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ।
10. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
13. आयुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
14. वेब अधिकारी पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब.साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।